भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 58*

25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि यंत्रीकरण संबंधी उप मिशन

58. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के जनप्रतिनिधियों/संसद सदस्यों ने 16 फरवरी, 2015 को कृषि यंत्रीकरण संबंधी उपमिशन के संबंध में कृषि और किसान कल्याण मंत्री के साथ कोई चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

कृषि यंत्रीकरण संबंधी उप मिशन से संबंधित लोकसभा में दिनांक 25.06.2019 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 58 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): दिनांक 16 फरवरी, 2015 को मुंबई में महाराष्ट्र के किसानों की समस्याओं के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक निहित की गई थी। इस बैठक के कार्यवाही का ब्यौरा भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

कृषि उपकरण और मशीनरी आधुनिक कृषि के लिए आवश्यक आदान है। इनसे मानव श्रम और खेती की लागत में कमी होने के अलावा उत्पादकता में वृद्धि होती है। इनमें अन्य आदानों के उपयोग की दक्षता में सुधार करने में भी सहायता मिलती है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए देश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) नामक एक समर्पित योजना शुरू की गई है जिसके तहत जुताई, बुआई, रोपाई, फसल कटाई, पकाई, थ्रेशिंग, पौध सरंक्षण, अंतर-फसलन और अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए राजसहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाती है।

कृषि मशीनरी एवं उपकरण के वितरण और कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र सरकार को एसएमएएम के तहत क्रमशः 20.34, 15.96, 15.00, 34.13 और 145.5 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार को जारी की गई निधियों में काफी वृद्धि हुई है।

****